कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 2397 FP/UK/ROAD/9428/2015 :देहरादून:दिनांकः 15 फरवरी, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषयः– जनपद–अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से कलौटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.1863 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावनर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी / यू.सी.पी. / 06 / 70 / 2014 / एफ.सी. / 2407 दिनांक 05–02–2016

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा Online सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 20–11–2015 के द्वारा वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 1796 / FP/UK/ROAD/9428/2015 18–12–2015 के द्वारा भारत सरकार को आफ लाईन प्रेषित की गई है। भारत सरकार के Online सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश के क्रम में Online सूचना प्रेषित की जा रही है। है।

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करना चाहें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

कार्यालय--अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक-- 1796 FP/UK/ROAD/9428/2015 :देहरादून:दिनांक: 18 दिसम्बर, 2015

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषयः-- जनपद--अल्मोड़ा में अल्मोड़ा--घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से कलौटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.1863 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावनर्तन।

संदर्भः-- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या--8बी/यू.सी.पी./06/70/2014/एफ0सी0/1944 दिनांक 20--11--2015

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा कतिपय सूचना चाही गई हैं। उक्त पत्र के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1746/12--1 दिनांक 17--12--2015 के द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :--

1. बिन्दु संख्या--1 के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित प्रमाण--पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है। **(संलग्नक--1)**

2. बिन्दु संख्या--2 के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 2179/3सी(वन भूमि) दिनांक 17--12--2015 के द्वारा सम्बन्धित कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक--2)**

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करना चाहें।

संलग्नः--यथोपरि।

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या 1796 FP/UK/ROAD/9428/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1. प्रभगीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com Phone/Fax :- (05962) 230229

पत्रांक 1746 / 12-1 दिनांक, अल्मोड़ा, 12/12/2015

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एंव नोडल अधिकारी , वन संरक्षण
भूमि सवेक्षण निदेशालय
इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी
देहरादून,

विषय :–जनपद – अल्मोड़ा में अल्मोड़ा घाट मोटर मार्ग किमी0 50 से कलोटा मोटर मार्ग के निमार्ण हेतु 6.1863 है0 भूमि का गैर वार्निकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रतयावर्तन।

संदर्भ :– आपकी पत्र संख्या 1752/FP/UK/Road/9428/2015 दि0 10.12.2015,

महोदय,

उपरोक्त संदभिर्त पत्र के कम में अनुरोध है कि उक्त विषयक प्रकरण मे चाही गयी सूचना वनअधिकार अधिनियम 2006 ग्राम–स्तरीय समित, व उपखडीय समिति व जिला स्तरीय समिति तथा भारत सरकार के पत्र दि0 21.11.2015 मे उल्लेखित निदेशो के अनुपालन में अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा का स्पस्टीकरण अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा ने अपनी पत्र संख्या 2179/3सी0(व0भू0) दि0 17.11.15 में उपलब्ध कराया है, जिसे मूल में आपको संलग्न प्रेषित की जा रही है।

संलगनक– उपरोक्तनुसार

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एंव सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा

पंत्राक / दिनांकित

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवशयक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी अल्मोड़ा,
2. अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0 अल्मोड़ा,

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एंव सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा

18/12/15

ANNEXURE-1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT ALMORA (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes &other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date.17.11.14 at time.3:50...at Almora in which application claiming rights in Kalota area measuring 6.1863 hect for the construction of Almora Ghat motor road km 50 to Kalota motor road (13.00km) of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

17.11.14

Place; Almora

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

Dated: 17.11.14

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

FORM-1

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector: Almora

No........................ Dated..29/09/2014..........

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 6.1863 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Construction Division P.W.D Almora Uttaratakhad for Construction Almora Ghat From K.M 50 To village kalauta (Under Aatul Adersh Yojan) Motor Road (13.00 km.) Construction Division P.W.D. (purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Kalauta,Thali , Kutoli , Nanoli, Kaneda, Khoudi, Ritha koat, Phadhu Village (s) in Bhanoli tahsils.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 6.1863 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.

Encl: As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

Signature
(Vinod Kumar Suman)
District Collector
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

It is further certified that

S.No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 6.1630 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee (s) and the District level Committee are enclosed as annexure I to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl: As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

24.9.14

Signature
(Vinod Kumar Suman)
District Collector
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :–जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से (अटल आर्दश ग्राम) कलौटा तक मोटर मार्ग (लम्बाई 13.00किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भनोली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, जैंती–भनोली

उपखण्ड जैंती/भनोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 6.1863 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 6.1863 हे0 वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील भनोली) की दिनांक 28/08/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अनिल कुमार चन्याल........उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– **श्री अनिल कुमार चन्याल**,उपजिलाधिकारी, भनोली, अध्यक्ष

2– **श्री अमरेश कुमार**, उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा, सदस्य

3– **श्री किशन सिंह जड़ौत**, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, धौलादेवी, सदस्य/सचिव

4– श्री ....दीवान राम आर्य........ बी0डी0सी0 क्षेत्र........कलौटा........सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा में मा.मु0घो0 के अन्तर्गत **जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से (अटल आर्दश ग्राम) कलौटा तक मोटर मार्ग का निर्माण** परियोजना हेतु 2.7320 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष मे हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

उप जिलाधिकारी
जैंती/भनोली

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड जैंती/भनोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में मा. मु0घो0 के अन्तर्गत **जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से (अटल आदर्श ग्राम) कलौटा तक मोटर मार्ग का निर्माण** परियोजना के निर्माण हेतु 6.1863 है0 वन भूमि नि0ख0 लो0नि0वि0, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त **कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर** सहमति **व्यक्त की गयी।**

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–.....जैंती/भनोली.....
जनपद ....

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–.....................
जनपद.....................

बिन्दु सं०(1)

प्रपत्र--23

परियोजना का नाम :--जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा--घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से (अटल आर्दश ग्राम) कलौटा तक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 13.00किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण--पत्र
ग्राम पंचायत का नाम
तहसील--भनोली, जिला--अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अल्मोड़ा--घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से कटौला तक मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 6.1863 हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि 0.00 हे0) अर्थात कुल 6.1863 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 11-07-2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कलौटा, के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि० अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव ग्राम- कलौटा
विकास खण्ड-भैसियाछाना (अल्मोड़ा)

जानकी देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत कलौटा
ह0/
ग्राम प्रधान
जिला-अल्मोड़ा

प्रपत्र–23.1

दिनांक 11-09-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कलौटा

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	बसन्त कुमार	Basant
2.	रमेश चन्द्र पाण्डेय	[illegible]
3.	भवानी दत्त पाण्डेय	[illegible]
4.	शंकर दत्त	[illegible]
5.	गिरीश चन्द्र पाण्डेय	गिरीश चन्द्र
6.	महेश चन्द्र पाण्डेय	[illegible]
7.	दुर्बादत्त	उर्बादत्त
8.	पुरन लाल	[illegible]
9.	कैलाश चन्द्र	Kailash
10.	प्रकाश चन्द्र	प्रकाश चन्द्र

जानकी देवी

ह0/–

ग्राम प्रधान

बिन्दु सं० (2)

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

E-mail-eecdalmorapwd@rediffmail.com Ph. No.- 05962-

पत्रांक 2179 / 3सी (वन भूमि) दिनांक 17 /12/ 2015

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी
वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः— **जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा—घाट मोटर मार्ग के किमी० 50 से कलौटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.1863 है० वन भूमि का गैर वानिकीय कार्यो हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ :— आपका कार्यालय पत्रांक 1725 एफ.पी. / यू०के० / रोड़ / 9428 / 2015 दि० 10.12. 2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अनुरोध करना है कि उक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में त्रुटिपूर्ण सूचना भेजने हेतु सम्बन्धित स्टाफ को चेतावनी भेजी गई है, जो संलग्न है।

अतः भविष्य में इस प्रकार की पुरावृत्ति नही की जायेगी।

भवदीय

17/12/15

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

UTTARAKHAND

E-mail-eecdalmorapwd@rediffmail.com

Ph. No.- 05962-230091

पत्रांक 2179 / 3सी (वन भूमि) दिनांक 17 /12/ 2015

सेवा में,

श्री बी0सी0 जोशी
सहायक अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

✓श्री गिरीश चन्द्र पाटनीय
कनिष्ठ अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

श्री मोहन चन्द्र पाण्डे
अमीन
नि0ख0, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

विषयः– **जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से कलौटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.1863 है0 वन भूमि का गैर वानिकीय कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।**

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में त्रुटि पूर्ण सूचना प्रेषित किये जाने पर भारत सरकार द्वारा अशंतोष व्यक्त किया गया है जिससे वन भूमि हस्तान्तरण प्रक्रणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। आपको चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में प्रक्रणों का भली–भॉति सत्यापन कर ही भेजे अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए बाध्य होना पड़ेगा। प्रस्ताव में वनाधिकार प्रमाण पत्र का विशेष ध्यान रखा जाय।

17/12/15

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा